

REGD. POST

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No.5/93/2007-M.IV

New Delhi, the 24th August, 2007

To

The Secretary to the Government of Jharkhand,
Department of Mines & Geology,
RANCHI (Jharkhand)

Subject:- Proposal for grant of mining lease for iron ore over an area of 537 Hect. in mauza Jeraldaburu, Ghatkuri Reserve Forest, District West Singhbhum in favour of M/s Jindal Steel & Power Ltd. for a period of 30(thirty) years.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.Kha.Ni.(Chai)-30/06-94 M.C. dated 29.5.2007 on the above mentioned subject and to convey the prior approval of the Central Government under Section 5(1) of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 for the grant of mining lease for iron ore over an area of 537 Hect. in mauza Jeraldaburu, Ghatkuri Reserve Forest, District West Singhbhum in favour of M/s Jindal Steel & Power Ltd. for a period of 30(thirty) years.

2. Before allowing grant of mining lease, the State Government may kindly ensure the compliance of the amended provisions of the Act and Rules, and other applicable Acts and Rules including Forest (Conservation) Act, 1980 and environmental notification dated 27.1.1994 as issued and amended by Ministry of Environment and Forests.

3. A copy of the order passed by the State Govt. in the matter may kindly be furnished to this Ministry for record.

Yours faithfully,

(Anil Subramaniam)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, NAGPUR - 440001
2. The Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd., High Land Drive Road, Seminary Hills, NAGPUR - 440006
3. PS to Minister of Mines
4. Guard file

(Anil Subramaniam)

Under Secretary to the Government of India

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक...../एम०

राँची, दिनांक.....

प्रेषक,

बी० बी० सिंह
प्रभारी, खान निदेशालय

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
चाईबासा।

विषय: पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-जेरालदाबुरु, घाटकुड़ी रक्षित वन क्षेत्र में 537 हेक्टेयर क्षेत्र पर सर्वश्री जिन्दल स्टील एंड पावर लि० को 30 वर्षों की अवधि के लिए लौह अयस्क के खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्राप्त आवेदन पत्र के निष्पादन हेतु निम्नांकित सूचनाओं की आवश्यकता है -

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्वानुमति।
2. पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र।
3. आवेदक के पक्ष में 537 हेक्टेयर क्षेत्र का सत्यापित मानचित्र ट्रेसिंग क्लॉथ पर (अनुशासित मानचित्र की प्रति संलग्न)।
4. सत्यापित मानचित्र के आलोक में सत्यापित भूमि सूची।
5. भूमि सूची के आलोक में अंचलाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनापत्ति पत्र।

अतः अनुरोध है कि वांछित सूचनाएं जिला स्तर/ आवेदक कंपनी से प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बी० बी० सिंह)

प्रभारी, खान निदेशालय

झापांक - 170/एम०

प्रतिलिपि - सर्वश्री जिन्दल स्टील एंड पावर लि०, खरसिया रोड, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राँची, दिनांक 06.09.07

(बी० बी० सिंह)

प्रभारी, खान निदेशालय

जिला खनन पदाधिकारी चाईबासा का कार्यालय,

(पो) सिंहभूम।

पत्रांक 1680/एम०

दिनांक 18.9.2007

सेवा में,

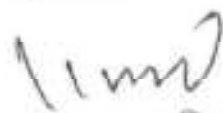
सर्वश्री जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि०
खारसिया रोड, रायगढ़-496001
जिन्दल सेन्टर, 12 भिकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066

विषय :- पो सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा जेराल्दाबुरु (घाटकुडी आरएफ) के 537.00 हेक्टर क्षेत्र पर सर्वश्री जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि० को 30 वर्षों की अवधि के लिए लौह अयस्क के खनन पेट्टा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- प्रभारी खान निदेशालय के पत्रांक 170/एम०सी०, रॉंची दिनांक 06.09.2007

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में प्रभारी खान निदेशालय खान एवं भूतत्व, झारखण्ड रॉंची से प्राप्त अनुशसित मानचित्र 537.00 हेक्टर की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निम्नांकित कागजात एवं सूचनाएं दाखिल करें :-

1. वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्वानुमति पत्र।
- 1.1 इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान (भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गाईड लाईन पत्र सं० 5-5/86-FC(P1) दिनांक 26.02.1999)
2. भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र।
3. अनुशसित सत्यापित मानचित्र के आलोक में सत्यापित भूमि सूची/ट्रेसिंग क्लोथ मानचित्र 537 हेक्टर क्षेत्र का।
4. भूमि सूची के आलोक में अंचलाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनापत्ति पत्र।


जिला खनन पदाधिकारी
चाईबासा। 18.9.07